आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

जमाबंदी पुनरीक्षण वाद संख्या –86 / 2021
गौरव सिंह
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
06.04.2023	प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या–01 / 2018–19 में दिनांक–22.06.2019 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना। वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी के दादा स्व0 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने दुल्हिन राधिका देवी, पति–कृष्ण कुमार सिंह से दिनांक 18.08.1970 को चार एकड़ जमीन एवं श्रीमती उषा सिन्हा, पति–स्व0 विरेन्द्र कुमार सिंह से 16 एकड़ जमीन दिनांक 21.08.1970 को खरीदगी की। वादी के दादा सुरेन्द्र प्रसाद सिंह की मृत्यु हो गई जिनके पुत्र विनय कुमार सिंह है। परन्तु इस वाद में विनय कुमार सिंह वादी नहीं है बल्कि उनके (विनय कुमार सिंह) पुत्र (गौरव सिंह) इस वाद में वादी है। इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उनके पिता (विनय कुमार सिह) कई वर्षो से लापता है जिस कारण उन्हें प्रश्नगत मामले में वादी नहीं बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि वादी के पिता यदि लापता है इस संबंध में कोई साक्ष्य न तो इस न्यायालय मे और न ही निम्न न्यायालय में ही वादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जबकि स्व0 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह की खरीदगी जमीन का एकमात्र मालिक उनके पुत्र विनय कुमार सिंह है। वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि अपीलार्थी ने सर्वप्रथम अंचलाधिकारी, सरैयां के यहां दाखिल खारिज वाद सं0–2316 / 2010–11 दायर किया, उसमें उषा सिन्हा द्वारा एक आपत्ति दाखिल किया गया कि ललन प्रसाद सिंह एवं शिवप्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा वादी के दादा से दो	ज्ञ

WEB COPY NOT OFFICIAL

विक्री पत्र के माध्यम से दिनांक 06.08.1971 को खरीदी गयी। जिस आपत्ति के कारण वादी का नामांतरण नहीं हो सका। इसके बाद वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद सं0– 05/2011 दायर किया गया। जिसमें ललन प्रसाद सिंह एवं शिव कुमार श्रीवास्तव का केवाला जाली पाया गया। पुनः आवेदक ने जमाबंदी कायम करने हेतु अंचलाधिकारी के यहां वाद सं0–1120/2014–15 दायर किया। अंचलाधिकारी ने विद्वान सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आधार पर अभिलेख को अपर समाहर्त्ता के यहा भेज दिया। अपर समाहर्त्ता ने जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–38/2014–15 संस्थगित कर कार्रवाई प्रारंभ किया। उपर्युक्त वाद (38/2014–15) में वशिष्ठ नारायण सिंह उपस्थित होकर कहा कि प्रश्नगत भूमि को उन्होंने ललन प्रसाद सिह एवं शिव प्रसाद श्रीवास्तव से खरीद लिया है। साथ ही इन्होंने बताया की स्वत्व वाद सं0– 05/2011 जिसमें एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध उन्होंने एक स्वत्व वाद सं0–43/2014 दायर किया है, जो लंबित है, जिस आधार पर अपर समाहर्त्ता ने अपना आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी समाहर्त्ता न्यायालय, मुजफ्फरपुर में वाद सं0–01/2018 दायर किया। समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर ने भी प्रश्नगत वाद को स्वत्व वाद सं0–05/2011 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2014 के विरूद्ध स्वत्व वाद सं0–43/2014 विचाराधीन रहने एवं दाखिल खारिज अधिनियम 2017 की धारा 06 (12) के आलोक में प्रश्नगत वाद में जमाबंदी रद्दीकरण के बिंदु पर आदेश पारित करना संभव नहीं पाते हुए वादी के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

उल्लेखनीय है कि जमाबंदी रद्दीकरण एवं नामांतरण दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े है, ऐसी स्थिति में जहां तक दाखिल खारिज का प्रश्न है, तो इस न्यायालय को दाखिल खारिज संबंधी मामले को सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा प्रश्नगत वाद का विषय वस्तु दाखिल खारिज से ही संबंधित है, लेकिन जमाबंदी रद्दीकरण को भी लाया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL